अपील डिक्री/टीए/2005/153/झुन्झुनूं
ललिता देवी बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-5-2019	**खण्ड पीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** उपस्थित :– 1. श्री मुकेश कुमार जैन अभिभाषक अपीलाण्ट 2. श्रीमती पूनम माथुर, अति.राजकीय अभिभाषक रेस्पोण्डेण्ट। **निर्णय** 1. बहस आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व बहस एडमिशन सुनी गई । 2. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.10.04 को पारित हुए थे तथा अपील दिनांक 10.01.05 को पेश की गई थी । इसमें कुछ दिनां का विलंब हुआ है । देरी का कारण अधिवक्ता द्वारा नियत समय पर सूचना नहीं देना था । इसलिये देरी माफ की जाए। गुणावगुण पर विद्वान अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलांट का पुराना कब्जा व चूना भट्टा निर्मित होना बताया है । दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य का विश्लेषण व मूल्यांकन विधिनुसार नहीं किया है, बल्कि मात्र कयासों के आधार पर इस आराजी को नदी नाला की भूमि होना माना है । विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील है कि इसी भूमि का नियमन करने की सिफारिश तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ को की थी किंतु नियमन नहीं किया गया । इसलिये वादिया ने मौजूदा दावा पेश किया है । साक्ष्य से वादिया वादग्रस्त आराजी की स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है । किन्तु विचारण न्यायालय ने वादिया का वाद खारिज करके अवैधानिकता की है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी तथ्य एवं विधि की अनदेखी करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की ज्यों की त्यों पुष्टि कर दी है । अतः निवेदन किया है कि अपील एडमिट की जाकर दोनों अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड को तलब किया जावे । 3. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उक्त दलीलों का विरोध किया है तथा वादग्रस्त आराजी सिवाय चक होने के कारण वादिया को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होना बताते हुए यह अपील	

एडमिशन के स्तर पर ही खारिज करने का निवेदन किया है ।

4. उक्त तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

5. अपील पेश करने में कुछ दिनों का विलंब हुआ है, जो कि जानबूझकर नहीं हुआ बल्कि अधिवक्ता द्वारा प्रथम अपील की सूचना देरी से देने के कारण हुआ है । अतः देरी को माफ किया जाता है ।

6. दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है कि वादिया का वादग्रस्त आराजी पर बतौर कृषक या उप कृषक कब्जा काश्त साबित नहीं है बल्कि वह सिवाय चक आराजी पर यदा कदा अतिक्रमण कर लेती है । इसलिये वह इस आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के यह निष्कर्ष illegal and perverse नहीं है । इस प्रकरण में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है, अतः अपील काबिले खारिज है।

7. लिहाजा एडमिशन के स्तर पर अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष